(4)

राजभवन, लखनऊ

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या–ई–8512/2023

दिनांक : दिसम्बर 13, 2023

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर(उ0प्र0), जोकि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उक्त अधिनियम की धारा–12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए अंथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। केवल ऐसे व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र होगा जिन्होनें 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ–साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राजभवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 08.01.2024 (सोमवार) तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(14.12.23)

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।